



प्रारूप - 'तीन'

अन्य राज्यों से प्रवृज्जन कर मध्यप्रदेश में आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये

जाति प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश राज्य के लिये मान्य नहीं)

अनुक्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी पुत्र/पुत्री श्री
निवासी ग्राम/शहर तहसील जिला
प्रदेश/संघ क्षेत्र का/की निवासी होकर सरल क्रमांक
पर उल्लेखित जाति का/की सदस्य है, जो निम्नलिखित आदेशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है :-

- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 सं. 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/66/93 बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993 .
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 183 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994.
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1996
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर 1994.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 129 दिनांक 8 जुलाई 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/93-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 184 दिनांक 1 सितम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/11/12/96-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 236 दिनांक 11 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 239 दिनांक 3 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/18/97-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 166 दिनांक 3 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 171 दिनांक 6 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/93-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/93-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 270 दिनांक 8 दिसम्बर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/99-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 210 दिनांक 21 सितम्बर 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 12011/9/2000-बीसीसी दिनांक 06-09-2001.
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 19-06-2003
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13-01-2004
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 210 दिनांक 16 जनवरी 20006 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/2004-बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 27 दिनांक 12 मार्च 20007 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/14/2004-बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18-08-2010
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12015/13/2010-बीसीसी दिनांक 06-12-2011

2/ यह प्रमाण पत्र द्वारा (सक्षम अधिकारी का नाम) श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री
..... ग्राम/शहर जिला राज्य/संघ क्षेत्र को क्रमांक
..... दिनांक द्वारा दिये गयेय प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है जिसके अनुसार
राज्य/संघ क्षेत्र में इनकी जाति क्रमांक पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित है ।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 08 -09-1993 की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लेखित क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है ।
राज्य- मध्यप्रदेश

स्केन्ड सील

पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर (स्केन्ड)

नाम

पदनाम

स्थान

दिनांक

आधार नं.

SSSM नं.

नोट : ● यह प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय आरक्षण/सुविधाओं के लिये मान्य नहीं है ।

● पंजीयन क्रमांक द्वारा जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन बेबसाईट <http://lokseva.gov.in> अथवा <http://mpedistrict.gov.in> पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है ।